

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना, सारण।

पत्रांक 2192...
दिनांक 11 / 08 / 2026



शिक्षा भवन, जिला स्कूल कैम्पस
छपरा- 841301

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सारण।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
सभी चिन्हित सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल विद्यालय)
सभी पी0एम0श्री0 विद्यालय
सारण।

विषय:- मॉडल स्कूल एवं पी0एम0श्री0 विद्यालय के संचालन के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि सारण जिलान्तर्गत सभी प्रखंडों में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल स्कूल (26) एवं दो-दो विद्यालय (30) को पी0एम0श्री0 विद्यालय के रूप में चिन्हित करते हुए विभागीय निदेशानुसार नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य ऐसे विद्यालयों में मेधावी छात्र/छात्राओं के नामांकन के साथ ही उत्कृष्ट दर्जे का पठन-पाठन एवं छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित किया जाना है।

उक्त संदर्भ में विभाग के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया एवं शिक्षकों के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया हेतु विस्तृत दिशा-निदेश उपलब्ध कराये गये हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि आप सभी शिक्षकों की पूरी टीम सहित विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अध्ययन-अध्यापन हेतु बेहतर एवं उत्कृष्ट माहौल बनायें। इस संदर्भ में निम्नवत दिशा-निदेश निर्गत किये जा रहे हैं-

1. प्रातः काल एसेम्बली (चेतना सत्र) संचालन के संबंध में- प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकों सहित विभागीय निदेश के आलोक में निर्धारित समय पर सभी बच्चों के साथ शांतिपूर्ण एवं अनुशासन बनाये रखते हुए सभी बच्चों को कतारबद्ध कर विद्यालय के मैदान में प्रार्थना सभा के लिये खड़ा करेंगे एवं संगीत वाद्य यंत्र के साथ प्रार्थना सभा प्रारंभ करेंगे। इस कार्य में संगीत शिक्षक/शिक्षिका अथवा संगीत में रुचि रखने वाले शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चेतना सत्र में वाद्य यंत्र एवं लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। प्रार्थना की समाप्ति के उपरान्त संविधान की प्रस्तावना, दैनिक महत्वपूर्ण विचार, संदर्भित तिथि से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, समाचार पत्र का वाचन, सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न तथ शब्दकोष से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का वाचन करने की कार्ययोजना बनाई जा सकती है।

इसके अतिरिक्त चेतना सत्र की समाप्ति से पूर्व थीम आधारित देश भक्ति गीत, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का गायन अनिवार्यतः कराया जाय। अंत में प्रधानाध्यापक अथवा दैनिक आधार पर चयनित शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों का उत्साहवर्द्धन करते हुए चेतना सत्र की समाप्ति की जाय। चेतना सत्र आयोजित करने की जवाबदेही प्रधानाध्यापक द्वारा गठित कमेटी को दी जाय, जिसमें संगीत शिक्षक सहित अन्य शिक्षक/शिक्षिका भी सम्मिलित हों।

2. बच्चों में भाषा के प्रति Fluency बढ़ाने के दृष्टिकोण से दैनिक आधार पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत के कुछ टॉपिक किसी एक बच्चे को अथवा समूह को देते हुए उसका भी वाचन कराया जाय।
3. चेतना सत्र के पश्चात सभी मॉडल स्कूलों के पाठ्यक्रम में एकरूपता रखने के लिए जिला स्तर पर सारण गुरु के शिक्षकों के समूह एवं अन्य मॉडल स्कूल के शिक्षकों के समूह द्वारा वार्षिक कार्य दिवस के आधार

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना, सारण।

पत्रांक

दिनांक / / 2026



शिक्षा भवन, जिला स्कूल कैम्पस

छपरा- 841301

- पर दैनिक रूप से विषयों के अध्यायों को पठन-पाठन हेतु विभाजित करते हुए Daily cum Annual Teaching Plan Develop किया गया है, जिसके आधार पर प्रयास किया गया है कि मॉडल स्कूल में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को एकरूपता के साथ पूर्ण किया जाय ताकि छात्र/छात्राओं को परीक्षा में सम्मिलित होने के समय अधूरे पाठ्यक्रम की परेशानी से न जूझना पड़े।
4. इसके अतिरिक्त विज्ञान के विषयों में प्रयोगशाला के प्रबंधन एवं प्रयोग हेतु विज्ञान के शिक्षकों की कमिटी गठित करते हुए Lab Experiment से संबंधित पंजी संधारण, विज्ञान विषयों के पुस्तकों की सूची एवं अन्य आवश्यक ड्रग उपकरण आदि क्रय हेतु कमिटी को जवाबदेही दिया जाय।
 5. इसी प्रकार कला से संबंधित विषयों के पठन-पाठन हेतु आवश्यक TLM की सामग्री तथा पुस्तकों की सूची बनाना एवं उसके क्रय करने की जिम्मेवारी कला से संबंधित शिक्षकों को दी जाय।
 6. जहां पुस्तकालयाध्यक्ष पदस्थापित हैं, वहां उनके द्वारा विषय आधारित आवश्यक एवं उपयोगी पुस्तकों की सूची संबंधित शिक्षकों से प्राप्त करते हुए प्रधानाध्यापक को क्रय हेतु उपलब्ध करायेंगे। जहां कम्प्यूटर शिक्षक पदस्थापित हैं, वहां उनके द्वारा विषय आधारित आवश्यक एवं उपयोगी सामग्री के क्रय/कार्य हेतु प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करायेंगे। कम्प्यूटर शिक्षक का यह दायित्व होगा कि विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT Lab का संचालन निर्बाध रूप से करते हुए VC एवं अन्य तकनीकी कार्यों में सहयोग प्रदान

- उपर्युक्त वर्णित सभी निदेशों के अनुपालन की जवाबदेही प्रधानाध्यापक की होगी। यदि शिक्षक/शिक्षिका या अन्य कर्मों के द्वारा निदेश के अनुपालन में आना- कानी की जाती है तो तत्क्षण प्रधानाध्यापक अधोहस्ताक्षरी के व्हाट्सएप पर सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रधानाध्यापक सभी शिक्षकों के साथ बैठक कर विद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ तथा पेयजल, आरओ, शौचालय, कुर्सी, टेबुल, वाई-फाई, सेनिटरी पैड वेडिंग मशीन, प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित दवायें एवं अन्यान्य की सूची तैयार कर विद्यालय विकास कोष अथवा छात्र कोष से बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन कर क्रय/कार्य करेंगे।
7. सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को पाठ्य टीका का निर्धारण करना अनिवार्य होगा।
 8. कोई भी शिक्षक/शिक्षिका प्रधानाध्यापक से छुट्टी स्वीकृत कराये बगैर प्रस्थान नहीं करेंगे।
 9. प्रधानाध्यापक कुल छात्रों की संख्या को शिक्षकों की संख्या से विभाजित कर समानुपातिक रूप से छात्र/छात्राओं का आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे। संबद्ध शिक्षक उक्त छात्र/छात्राओं के Learning Outcom परीक्षाओं में उनका परफार्मेंस, विद्यालय में उनकी गतिविधियों, छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन, उनकी रुचि एवं उपस्थिति को अनुश्रवण करेंगे तथा प्रधानाध्यापक को समय-समय पर अवगत कराते हुए आवश्यक कदम उठावेंगे।

उपर्युक्त दिशा निदेश के अनुपालन में नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। विद्यालय के प्रशासन को सुदृढ़ करने, पठन-पाठन के माहौल को बेहतर बनाने में प्रधानाध्यापक का अमूल्य योगदान रहता है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देते हुए त्वरित गति से इसका निष्पादन करेंगे।

[Handwritten signature]
11-8-2026

विश्वासभाजन
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।
[Handwritten signature]

ज्ञापांक 2193 छपरा

दिनांक 11-8-2026

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी
बिहार शिक्षा परियोजना, सारण।

पत्रांक

दिनांक / / 2026



शिक्षा भवन, जिला स्कूल कैम्पस

छपरा- 841301

प्रतिलिपि:- सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, सारण को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सारण को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, मा0 शि0, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव सह राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Beey
11.8.2026

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण।

11/8/26